# फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

श्री अशरफ ........................................ बनाम पतासी व अन्य ........................................................

किस्म मुकदमा 88,53,188 नम्बर 86/2010......सन ...................

| तारीख पेशी | हुक्म या कार्यवाही<br>श्री श्री | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 10.01.2020 | पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित । पेरोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुति कि दिनांक 5.3.2009 के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 23.12.2009, 25.3.2010, 5.5.2011, 4.5.12, 25.4.17, की पालना में आज दिवस तक रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नही किए गए है। जिस हेतु अपीलान्ट द्वारा आदेशिका दिनांक 31.7.19, 28.8.19, 9.9.2019, 22.11.2019 को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी नोटिस तलबाना प्रस्तुत नही किए गए । दिनांक 5.3.2009 के पश्चात लगभग 10 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने तथा कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 23.12.2009, 25.3.2010, 5.5.2011, 4.5.12, 25.4.17, 31.7.19, 28.8.19, 9.9.2019, 22.11.2019 की पालना नही कि गई है। इसके बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया ।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 23.12.2009, 25.3.2010, 5.5.2011, 4.5.12, 25.4.17, 31.7.19, 28.8.19, 9.9.2019, की प्रभावी आदेशिका दिनांक 22.11.2019 के बावजूद गई अवसर प्राप्त किए जाने एवं दस वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता की उक्त अपील को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः अपीलान्ट का अपील न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अजमेर | |

Scanned by CamScanner